श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

क. वसूलियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1586.90	2636.24	4223.14	2438.32	3158.76	5597.08	1420.25	2879.60	4299.85	2116.51	3198.71	5315.22
	पूंजी	***7.10***	*2.53*	*9.63*	*10.28*	*0.97*	*11.25*	*10.28*	*0.87*	*11.15*	*36.51*	*9.64*	*46.15*
	जोड़	**1594.00**	**2638.77**	**4232.77**	**2448.60**	**3159.73**	**5608.33**	**1430.53**	**2880.47**	**4311.00**	**2153.02**	**3208.35**	**5361.37**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	32.98	32.98	...	39.05	39.05	...	39.25	39.25	...	43.08	43.08
श्रम और रोगजार													
श्रम													
2. अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2230	22.30	9.38	31.68	43.07	9.78	52.85	43.07	9.78	52.85	37.74	10.63	48.37
	4250	0.13	0.01	0.14	0.25	0.03	0.28	0.25	0.03	0.28	1.25	0.03	1.28
	जोड़	*22.43*	*9.39*	*31.82*	*43.32*	*9.81*	*53.13*	*43.32*	*9.81*	*53.13*	*38.99*	*10.66*	*49.65*
3. औद्योगिक संबंध	2230	13.08	44.51	57.59	19.31	49.19	68.50	18.81	47.69	66.50	17.38	51.49	68.87
	4250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*13.08*	*44.51*	*57.59*	*19.31*	*49.19*	*68.50*	*18.81*	*47.69*	*66.50*	*17.38*	*51.49*	*68.87*
4. कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	2230	12.42	56.52	68.94	20.30	61.25	81.55	20.30	63.74	84.04	14.24	69.09	83.33
	4250	0.27	...	0.27	0.26	0.05	0.31	0.26	0.04	0.30	4.26	0.05	4.31
	जोड़	*12.69*	*56.52*	*69.21*	*20.56*	*61.30*	*81.86*	*20.56*	*63.78*	*84.34*	*18.50*	*69.14*	*87.64*
5. श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	...	201.43	201.43	...	264.61	264.61	...	241.55	241.55	...	281.22	281.22
	3601	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	4250	...	2.53	2.53	...	8.28	8.28	...	7.44	7.44	...	8.77	8.77
	जोड़	*...*	*203.96*	*203.96*	*...*	*272.90*	*272.90*	*...*	*249.00*	*249.00*	*...*	*290.00*	*290.00*
6. श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण													
6.01 बीड़ी कामगार कल्याण निधि													
6.01.01 को	2230	...	157.84	157.84	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	170.00	170.00
6.01.02 से	2230	...	-153.64	-153.64	...	-151.85	-151.85	...	-152.68	-152.68	...	-170.00	-170.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4250	...	-0.55	-0.55	...	-8.15	-8.15	...	-7.32	-7.32	...	...	...
	जोड़	*...*	*-154.19*	*-154.19*	*...*	*-160.00*	*-160.00*	*...*	*-160.00*	*-160.00*	*...*	*-170.00*	*-170.00*
	कुल	*...*	*3.65*	*3.65*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.02 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि													
6.02.01 को	2230	...	22.97	22.97	...	2.54	2.54	...	2.54	2.54	...	2.73	2.73
6.02.02 से	2230	...	-2.20	-2.20	...	-2.53	-2.53	...	-2.53	-2.53	...	-2.72	-2.72
	4250	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
	जोड़	...	*-2.20*	*-2.20*	...	*-2.54*	*-2.54*	...	*-2.54*	*-2.54*	...	*-2.73*	*-2.73*
	कुल	...	*20.77*	*20.77*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.03 लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि													
6.03.01 को	2230	...	34.82	34.82	...	15.65	15.65	...	15.14	15.14	...	16.70	16.70
6.03.02 से	2230	...	-13.23	-13.23	...	-15.61	-15.61	...	-15.10	-15.10	...	-16.65	-16.65
	4250	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.05	-0.05
	जोड़	...	*-13.27*	*-13.27*	...	*-15.65*	*-15.65*	...	*-15.14*	*-15.14*	...	*-16.70*	*-16.70*
	कुल	...	*21.55*	*21.55*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.04 चूनापत्थर और डोलोमाईट कल्याण निधि													
6.04.01 को	2230	...	64.83	64.83	...	14.98	14.98	...	14.46	14.46	...	15.98	15.98
6.04.02 से	2230	...	-11.74	-11.74	...	-14.91	-14.91	...	-14.40	-14.40	...	-15.90	-15.90
	4250	...	-0.05	-0.05	...	-0.07	-0.07	...	-0.06	-0.06	...	-0.08	-0.08
	जोड़	...	*-11.79*	*-11.79*	...	*-14.98*	*-14.98*	...	*-14.46*	*-14.46*	...	*-15.98*	*-15.98*
	कुल	...	*53.04*	*53.04*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.05 सिने श्रमिक कल्याण निधि													
6.05.01 को	2230	...	6.81	6.81	...	1.81	1.81	...	1.73	1.73	...	1.93	1.93
6.05.02 से	2230	...	-1.45	-1.45	...	-1.80	-1.80	...	-1.72	-1.72	...	-1.92	-1.92
	4250	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
	जोड़	...	*-1.46*	*-1.46*	...	*-1.81*	*-1.81*	...	*-1.73*	*-1.73*	...	*-1.93*	*-1.93*
	कुल	...	*5.35*	*5.35*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण		...	*104.36*	*104.36*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा													
7. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	2230	...	1997.78	1997.78	...	2540.00	2540.00	...	2290.00	2290.00	...	2540.00	2540.00
8. असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना	2230	...	35.38	35.38	...	16.88	16.88	...	11.19	11.19	...	17.90	17.90
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)													
9.01 असंगठित क्षेत्रक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा /राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2230	887.55	...	887.55	110.00	...	110.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*887.55*	*...*	*887.55*	*110.00*	*...*	*110.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
9.02 घटाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से पूरी की गई धनराशि	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*887.55*	*...*	*887.55*	*110.00*	*...*	*110.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा		**887.55**	**2033.16**	**2920.71**	**110.00**	**2556.88**	**2666.88**	**20.00**	**2301.19**	**2321.19**	**30.00**	**2557.90**	**2587.90**
श्रमिक शिक्षा													
10. केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	16.02	40.58	56.60	21.95	50.92	72.87	21.95	45.83	67.78	19.19	53.97	73.16
11. राष्ट्रीय श्रम संगठन	2230	6.00	3.25	9.25	5.62	3.50	9.12	5.62	3.15	8.77	5.62	3.71	9.33
जोड़-श्रमिक शिक्षा		**22.02**	**43.83**	**65.85**	**27.57**	**54.42**	**81.99**	**27.57**	**48.98**	**76.55**	**24.81**	**57.68**	**82.49**
12. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	3601	2.25	...	2.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. बाल/महिला श्रमिक की कार्य दशा में सुधार	2230	109.57	...	109.57	157.50	...	157.50	102.85	...	102.85	219.73	...	219.73
14. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	...	17.60	17.60	...	14.08	14.08	...	19.07	19.07	...	17.61	17.61
15. अन्य मदें	2230	2.18	0.16	2.34	2.50	0.74	3.24	2.65	0.44	3.09	2.74	0.78	3.52
जोड़-श्रम		**1071.77**	**2513.49**	**3585.26**	**380.76**	**3019.32**	**3400.08**	**235.76**	**2739.96**	**2975.72**	**352.15**	**3055.26**	**3407.41**
रोजगार और प्रशिक्षण													
16. रोजगार													
16.01 रोजगार	2230	3.98	36.49	40.47	4.30	40.50	44.80	4.30	40.30	44.60	4.30	43.76	48.06
	4250	0.11	0.15	0.26	0.20	0.22	0.42	0.20	0.20	0.40	0.20	0.23	0.43
	जोड़	*4.09*	*36.64*	*40.73*	*4.50*	*40.72*	*45.22*	*4.50*	*40.50*	*45.00*	*4.50*	*43.99*	*48.49*
16.02	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़- रोजगार		*4.09*	*36.64*	*40.73*	*4.50*	*40.72*	*45.22*	*4.50*	*40.50*	*45.00*	*14.50*	*43.99*	*58.49*
प्रशिक्षण													
17. प्रशिक्षण													
17.01 सामान्य संघटक	2230	218.59	50.35	268.94	235.64	54.79	290.43	195.36	54.61	249.97	263.87	59.31	323.18
	3601	32.71	...	32.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4250	6.54	0.45	6.99	9.50	0.60	10.10	9.50	0.54	10.04	30.73	0.64	31.37
	जोड़	*257.84*	*50.80*	*308.64*	*245.14*	*55.39*	*300.53*	*204.86*	*55.15*	*260.01*	*294.60*	*59.95*	*354.55*
17.02 ईएपी संघटक/कौशल विकास	2230	10.59	...	10.59	70.65	...	70.65	61.10	...	61.10	10.00	...	10.00
	3601	241.37	...	241.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	1.20	...	1.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*253.16*	*...*	*253.16*	*70.65*	*...*	*70.65*	*61.10*	*...*	*61.10*	*10.00*	*...*	*10.00*
17.03 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
(आईएमसी) को ऋण													
17.03.01 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण	6250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17.03.02 घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़- प्रशिक्षण		*511.00*	*50.80*	*561.80*	*315.79*	*55.39*	*371.18*	*265.96*	*55.15*	*321.11*	*304.60*	*59.95*	*364.55*
जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण		**515.09**	**87.44**	**602.53**	**320.29**	**96.11**	**416.40**	**270.46**	**95.65**	**366.11**	**319.10**	**103.94**	**423.04**
जोड़-श्रम और रोगजार		**1586.86**	**2600.93**	**4187.79**	**701.05**	**3115.43**	**3816.48**	**506.22**	**2835.61**	**3341.83**	**671.25**	**3159.20**	**3830.45**
18. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	7.09	4.82	11.91	11.63	5.18	16.81	11.63	5.55	17.18	10.93	6.00	16.93
	4225	0.05	0.04	0.09	0.07	0.07	0.14	0.07	0.06	0.13	0.07	0.07	0.14
	जोड़	*7.14*	*4.86*	*12.00*	*11.70*	*5.25*	*16.95*	*11.70*	*5.61*	*17.31*	*11.00*	*6.07*	*17.07*
19. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था													
19.01 सामान्य संघटक	2552	...	...	...	45.90	...	45.90	26.83	...	26.83	76.25	...	76.25
19.02 ईएपी संघटक/कौशल विकास	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.03 घटाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से धनराशि	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*...*	*...*	*...*	*45.90*	*...*	*45.90*	*26.83*	*...*	*26.83*	*76.25*	*...*	*76.25*
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना													
20. असंगठित कामगार हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	2552	...	...	...	119.23	...	119.23	41.00	...	41.00	129.05	...	129.05
	3601	...	...	...	1205.07	...	1205.07	498.74	...	498.74	1161.47	...	1161.47
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*1324.30*	*...*	*1324.30*	*539.74*	*...*	*539.74*	*1290.52*	*...*	*1290.52*
21. कौशल विकास मिशन													
21.01 कार्यक्रम संघटक - राज्य आयोजना	3601	...	...	...	152.83	...	152.83	224.17	...	224.17	80.00	...	80.00
21.02 कार्यक्रम संघटक -संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00
21.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	...	...	...	84.47	...	84.47	80.47	...	80.47	10.00	...	10.00
21.04 ईएपी संघटक	3601	...	...	...	125.22	...	125.22	38.00	...	38.00	10.00	...	10.00
	3602	...	...	...	2.13	...	2.13	0.90	...	0.90	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*127.35*	*...*	*127.35*	*38.90*	*...*	*38.90*	*10.00*	*...*	*10.00*

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- कौशल विकास मिशन		...	...	...	*365.65*	...	*365.65*	*346.04*	...	*346.04*	*104.00*	...	*104.00*
जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना		**...**	**...**	**...**	**1689.95**	**...**	**1689.95**	**885.78**	**...**	**885.78**	**1394.52**	**...**	**1394.52**
कुल जोड़		***1594.00***	***2638.77***	***4232.77***	***2448.60***	***3159.73***	***5608.33***	***1430.53***	***2880.47***	***4311.00***	***2153.02***	***3208.35***	***5361.37***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय*													
केन्द्रीय योजना:													
1. श्रम एवं रोजगार	22230	1602.53	...	1602.53	748.45	...	748.45	523.55	...	523.55	671.25	...	671.25
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	22225	7.14	...	7.14	11.70	...	11.70	11.70	...	11.70	11.00	...	11.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	45.90	...	45.90	26.83	...	26.83	76.25	...	76.25
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**1609.67**	**...**	**1609.67**	**806.05**	**...**	**806.05**	**562.08**	**...**	**562.08**	**758.50**	**...**	**758.50**
राज्य योजना:													
1. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	43601	...	...	...	1324.30	...	1324.30	539.74	...	539.74	1290.52	...	1290.52
2. कौशल विकास मिशन	43601	...	...	...	362.52	...	362.52	342.64	...	342.64	100.00	...	100.00
जोड़ - राज्य योजना		**...**	**...**	**...**	**1686.82**	**...**	**1686.82**	**882.38**	**...**	**882.38**	**1390.52**	**...**	**1390.52**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. कौशल विकास मिशन	43602	...	...	...	3.13	...	3.13	3.40	...	3.40	4.00	...	4.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**3.13**	**...**	**3.13**	**3.40**	**...**	**3.40**	**4.00**	**...**	**4.00**
जोड़		**1609.67**	**...**	**1609.67**	**2496.00**	**...**	**2496.00**	**1447.86**	**...**	**1447.86**	**2153.02**	**...**	**2153.02**
**शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन*													
मांग संख्या 104	22230	0.52	...	0.52	10.35	...	10.35	4.00	...	4.00	...	...	...
मांग संख्या 105	22230	15.15	...	15.15	37.05	...	37.05	13.33	...	13.33	...	...	...
जोड़		**15.67**	**...**	**15.67**	**47.40**	**...**	**47.40**	**17.33**	**...**	**17.33**	**...**	**...**	**...**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-:** इसके अतर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **अनुसंधान एवं सांख्यिकी-:** इसके अंतर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गयी है।

3. **औद्योगिक संबंध-:** इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुधारने तथा श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वियन का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिए तथा काम की अन्य स्थितियों व मजदूरी को नियमित करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करने, समझौतों और पंचाटों, श्रम कानूनों का शीघ्र कार्यान्वियन करने से संबंधित खर्च की व्यवस्था शामिल है।

4. **कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा-:** इसके अंतर्गत कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, जो गोदी कामगारों और कारखाना कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, के लिए व्यवस्था है। इसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय, जो कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है, के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

5. **श्रमिक कल्याण योजनाएं-:** इसके अंतर्गत बीड़ी कामगारों, अभ्रक खानों, लोहा, क्रोम, मैंग्नीज अयस्क खानों (कोयला खानों के कामगारों को छोड़कर) चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिने कामगारों हेतु कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। इस खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए और वसूल किए गए उपकर से पूरा किया जाता है, जिसे सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

6. **श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण-:** यह विभिन्न श्रम कल्याण निधियों को उपकरों की अंतरित राशि और इन निधियों से श्रम कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि के अंतर का प्रतीक है।

7. **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995-:** इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के परिवारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा के लाभों के लिए प्रावधान है। इसमें नई योजना के लिए सरकार के अंशदान हेतु प्रावधान है। इसमें पारिश्रमिक वृद्धि और पेंशन अंशदान के लिए अनंतिम धनराशि सहित श्रम सुधारों हेतु 250.00 करोड़ रूपए की धनराशि शामिल है।

8. **असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा-सहबद्ध-बीमा योजना-:** बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन तथा जीवन-बीमा योजना और चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान भविष्य निधि द्वारा शासित किए जाते हैं और इन पर परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है।

9. **असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक मुख्य असुरक्षा यह है कि मजदूर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा उपचार के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पहली अक्तूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करके एक शुरूआत की है। तत्कालीन आरएसबीवाई अब दो जिला घटकों में विभाजित है। नामत: असंगठित कामदारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड और सरकार के निर्णय के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान। यह कार्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

10. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड -:** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए श्रमिकों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

11. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान -:** 1972 में स्थापित वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत निकाय है जो क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि सहित अनुसंधान का कार्य करता है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

12. **बंधुआ मजूदरों का पुनर्वास-:** यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम है जो कि राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजूदरों के पुनर्वास से संबंधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है। योजना का योजना आयोग द्वारा असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना में पहले ही विलय कर दिया गया है।

13. **बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना -:** इसके अंतर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

14. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग -:** अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक अभिदान की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संवर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

15. **अन्य मदें:** (i) इसमें मंत्रालय में कार्यकुशलता में और सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

(ii) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कामगारों तथा नागिरकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी।

(iii) अनुसंधान/शैक्षिक संस्थाओं आदि को सहायता अनुदान।

16. **रोजगार -:** रोजगार योजनाओं में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसयिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबंधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा साथ ही रोजगार सेवाओं में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

17. **प्रशिक्षण::** इस मद के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है:-

(i) डीजीईटी प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

(क) इसमें औद्योगिक कार्यबल का नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है।

(ख) महिलाओं के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का घटक है।

(ii) अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना जो छोटे उद्यमों को अप्रेंटिस लगाने के लिए सहयोग प्रदान करती है।

(iii) असंगठित कार्यबल और स्कूल छोड़ चुके युवाओं इत्यादि को उनकी नियोजनीयता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iv) अन्य स्कीमें- इसमें रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्तरदायी भारत के एक शीर्ष संगठन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित अनेक छोटी-छोटी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

'केरियर सेंटर' के रूप में रोजगार कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए 100.00 करोड़ रूपए का विशिष्ट प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 100.00 करोड़ रूपए की धनराशि शामिल है।

18. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण::** इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल है। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

19. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान::** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।

20. **राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना:** केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों के लिए प्रावधान किए गए हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के भाग के रूप में किया जा रहा है।